

No.HQ/PIO/RTI/6/14

Date: 24.02.2014

**Shri Mahesh Chandra,**

S/o Sh. Totaram,  
Village - Dalippur,  
Post - Nagariya (Achalda),  
Tehsil- Vidhuna, Dist - Auriaya.U.P.


**Sub:** Information under RTI Act- 2005

**Ref:** Your application dt.28.12.2013, received on 06.01.2014.

संबंधित विभाग से प्राप्त सूचना निम्नलिखित है:-

1. ग्राम- बैसोली देहात की 20ए प्रकाशित गजट का.आ. 2451(अ) 8 दिसम्बर 2008 की छायाप्रति।(संलग्न)
2. ग्राम- बैसोली देहात की 20ई प्रकाशित गजट का.आ. 1528(अ) 19 जून 2009 की छायाप्रति। (संलग्न)
3. मद्-3, 5 एवं 6 के सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि ग्राम-बैसोली देहात तह0-बिधूना, जिला-औरैया के फार्म-11 कई चरणों में बनाया गया है जिसमें कि लगभग 150 से 200 पृष्ठ हैं तथा अभिनिर्णय की कई पृष्ठों में हैं। कृपया आप स्पष्ट करें कि आपको किस चरण के फार्म-11 के पृष्ठ की छायाप्रति चाहिए उसके उपरान्त ही आपको प्रति उपलब्ध कराई जा सकती हैं या आप किसी भी कार्यदिवस डी0एफ0सी0सी0आई0एल0 पाण्डु नगर कार्यालय में सम्बन्धित अभिलेखों को आकर देख सकते हैं। उसके उपरान्त जो प्रति आपको प्राप्त करनी है, उचित व्यय उपलब्ध कराकर, जनसूचना अधिकार अधिनियम के माध्यम से, इस कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।
4. भूमि के प्रतिकर का भुगतान रेलवे संशोधन अधिनियम 2008 के आधार पर, ग्राम में अर्जित की गयी अधिकृत भूमि के मुआवजे की दर का निर्धारण, संबंधित सर्किल रेट एवं पिछले तीन साल के रजिस्ट्ररी रेट के आधार पर जो भी अधिकतम है, सक्षम प्राधिकारी के निर्णयानुसार किया गया है। यदि आप भूमि के प्रतिकर से संतुष्ट नहीं हैं तो आप आर्बिट्रेटर महोदय के समक्ष आवेदन कर सकते हैं। गजट नोटिफिकेशन सं0 . S.O. 1679(E) dated 14th July 2010 के अर्न्तगत आयुक्त, कानपुर मण्डल कानपुर को आर्बिट्रेटर नियुक्त किया गया है।

संलग्नक:- यथोक्तानुसार।



(Rajiv Bhatnagar)  
DGM/PIO

**DESPATCH**

Copy to:

1. CPM/Kanpur
2. AGM/LA

*Speng*  
25.2.14